कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015
e-mail - ddsecjaipur1@gmail.com Tel. - 0141-2706849

क्रमांक : शिउनि / मा / जय / संस्था 1बी / फा–डीपीसी पत्राचार / 2018–19 / **15** दिनांक : **21.05.2018**

पदस्थापन परामर्श सूचना (Information of Councelling for Posting)

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा–2 / 2009 पार्ट दिनांक 07.05.2018 एवं समसंख्यक दिनांक 11.05.2018 के अनुसरण में समसंख्यक पत्र दिनांक 17.11.2016 में प्रदत्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में जयपुर सम्भाग के वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) के वर्ष 2018–19 की डीपीसी से चयनित शिक्षकों का पदस्थापन दिनांक 25.05.2018 से परामर्श कैम्प आयोजन कर किया जाना है। डीपीसी से चयनित शिक्षकों का परामर्श कैम्प निम्न कार्यक्रमानुसार आयोज्य है :–

कैम्प स्थल–राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर

क्र.सं.	दिनांक	वरिष्ठ अध्यापक के विषय		
01.	**25.05.2018**	सामान्य	हिन्दी	
02.	**26.05.2018**	उर्दू	संस्कृत	सामाजिक विज्ञान
03.	**27.05.2018**	विशेष शिक्षा	गणित	विज्ञान

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य / संस्था / एफ–1ए / डीपीसी / 2018 दिनांक 14.05.2018 के क्रम में वरिष्ठ अध्यापक–अंग्रेजी एवं वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर डीपीसी 2018–19 के द्वारा चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा।

कैम्प के लिए पंजीयन का समय प्रातः 8.30 से 09.30 बजे के मध्य रहेगा। **विलम्ब से उपस्थित होने वाले आशार्थियों को काउंसलिंग हेतु निर्धारित वरीयता का लाभ देय नहीं होगा।** सम्बन्धित शिक्षक अपने विषय से सम्बन्धित परामर्श तिथि को कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु स्थान का चयन करें। परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर विद्यालय का चयन नहीं करने वाले शिक्षकों एवं अनुपस्थित शिक्षकों का विभाग द्वारा प्रदर्शित रिक्तियों में से शेष रही रिक्तियों पर कहीं भी पदस्थापन किया जा सकेगा।

चयनित शिक्षकों की सूची पूर्व में जारी की जा चुकी है। पूर्व में जारी सूची में अंकित शिक्षक निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित हों।

1. पहचान पत्र (आई.डी.) (मूल एवं छाया प्रति)
2. शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज (B.A., M.A. & B.Ed.) (मूल एवं छाया प्रति)
3. जिन कार्मिकों ने ई–मेल के माध्यम से वरीयता में प्राथमिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है, उन्हें यह लाभ मूल दस्तावेज दिखाए जाने पर ही मिल सकेगा अन्यथा प्राथमिकता क्रम निरस्त कर उनकी वरीयता पुनः निर्धारित कर दी जाएगी।
4. पदस्थापन स्थान / जन्म तिथि में भिन्नता होने पर माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिक प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा एवं प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिक बीईईओ / पीईईओ द्वारा जारी जन्म तिथि, वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान का प्रमाण पत्र साथ लावें।

उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में कार्मिक को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। संबंधित समस्त संस्था प्रधान, बीईईओ / पीईईओ उपर्युक्तानुसार प्रमाण पत्र जारी करते हुए सुनिश्चित करें कि सूची में वर्णित अभ्यर्थी वांछित मूल दस्तावेजों एवं उनकी छाया प्रति सहित काउंसलिंग में उपस्थित हों।

पदस्थापन हेतु निर्धारित की गई रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची एवं वरीयता के संबंध में प्राप्त आपतियों के निस्तारण उपरान्त विषयवार वरीयता सूची यथासमय विभागीय वेबसाईट rajrmsa.nic.in पर प्रदर्शित कर दी जाएगी।

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

Scanned by CamScanner